भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4627

दिनांक 29.03.2023 को उत्तर देने के लिए

रेत खनन

4627. श्रीमती क्वीन ओझा:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रेत खनन करने के लिए खान विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना आवश्यक है क्योंकि उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में खनन को अवैध माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास ऐसी अवैध खानों का राज्य-वार ब्यौरा है जहां बिना अनुमति के खनन कार्य किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन कतिपय अधिकारियों की संलिप्तता के कारण ऐसा हो रहा हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे कतिपय मामलों की सूचना मिली है जहां अवैध खनन को रोकने के लिए छापा मारने गए अधिकारियों पर हमला किया गया और उन्हें जला दिया गया तथा उनकी हत्या के प्रयास किए गए; और

(च)यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 3 (ङ) के अनुसाररेत एक गौण खनिज है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 राज्य सरकारों को गौण खनिजों के संबंध में खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। इसलिए, गौण खनिजों का विनियमन राज्य सरकारों के विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

(ख) से (च): एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23ग राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण को रोकने और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। इसलिए, अवैध खनन पर नियंत्रण राज्य सरकारों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्र में आता है।

तथापि, केंद्र सरकार ने देश में अवैध खनन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) 2015 में एमएमडीआर अधिनियम में किए गए संशोधन द्वारा अवैध खनन के लिए दंड को और अधिक कठोर बना दिया गया । अधिनियम की धारा 4(1) और 4(1क) के उल्लंघन के लिए दंड 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तक कर दिया गया है और कारावास की अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 30ख में अवैध खनन/ढुलाई/भंडारण मामलों की त्वरित कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान है और अधिनियम की धारा 30ग में यह प्रावधान है कि ऐसे विशेष न्यायालयों को सत्र न्यायालय माना जाएगा।

(ii) खान मंत्रालय ने भारतीय खान ब्यूरो के माध्यम से राज्य सरकार को किसी भी अवैध खनन गतिविधि की सूचना देने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) विकसित की है जिस पर राज्य सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी। खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) एक उपग्रह-आधारित निगरानी प्रणाली है, जिसका उद्देश्य उपग्रह चित्रों के उपयोग के माध्यम से पट्टा क्षेत्र से बाहर अवैध खनन गतिविधि का पता लगाना है।

(iii) अधिनियम की धारा 23(ग) के प्रावधानों के अनुसरण में 22 राज्य सरकारों ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए नियम बनाए हैं।

(iv) 22 राज्य सरकारों ने अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए सदस्य विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए कार्य बल का गठन किया है।

इसके अतिरिक्त,खान मंत्रालय ने रेत खनन में स्थिरता, उपलब्धता, सामर्थ्य और पारदर्शिता के उद्देश्यों से राज्यों के बीच सर्वोत्तम पद्धतियों को शामिल करते हुए राज्यों के खनन विभागों के परामर्श से एक 'रेत खनन ढांचा' तैयार किया है। सभी राज्यों को आवश्यक कार्रवाई के लिए 'रेत खनन ढांचा' परिचालित किया गया है। इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 जारी किए हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ रेत खनन के विनियमन से संबंधित मुद्दों का समाधान करते हैं।

*****